

प्रेषक,

अरविंद सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
 वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
 फारेस्ट कालोनी देहरादून।

दिसम्बर

देहरादून: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2017

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4

विषय: जनपद बागेश्वर में 33/11 के 0वी 10 सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के 0वी 10 सबस्टेशन कपकोट तक 33 के 0वी 10 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.9 हेठले वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड, को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नहादय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1546 / FP/UK/TRANS/21116/2016, दिनांक 08.11.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद बागेश्वर में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के0वी0 सबस्टेशन कपकोट तक 33 के0वी0 विद्युत परेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.9 हेठले वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड, को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्राविधान के दृष्टिगत् अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3 / 2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल संख्या-एस0बी0-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास

वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया है) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भद्रदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या: ८०२ (१)/X-4-17/2(27)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, विद्युत द्वितीय कार्य खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हल्द्वानी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा सं
प्रौद्योगिकी सिंह
(सत्यम् काश सिंह)
उप सचिव।